बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 1

सोमवार, तिथि 12 चैत्र, 1940 (श.) / 02 अप्रील, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 09

1.	ग्रामीण कार्य विभाग	-	-	02
2.	कृषि विभाग	-	-	02
3.	ग्रामीण विकास विभाग	-	-	01
4.	पथ निर्माण विभाग	-	-	01
5.	भवन निर्माण विभाग	-	-	03
			कुल योग –	09

सड़क की मरम्मती

180. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के मुख्यालय अवस्थित गजना चौक से महुआ पुनर्वास होते हुए डभारी पुनर्वास होकर कोशी तट पर जाने वाली सड़क वर्ष 2017 की बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी?

कृषि ऋण पर अनुदान

181. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में किसानों को कृषि ऋण के तहत 4% ब्याज अनुदान देने की योजना है जिसपर 1% सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले 3% ब्याज अनुदान से अलग होगा, वाणिज्यिक के.सी.सी. ग्रामीण क्षेत्र बैंक, सहकारी बैंकों से 3 लाख तक फसल कार्य के.सी.सी. कर्ज अल्पावधि कृषि उत्पादन कर्ज पर एक फीसदी की दर से ब्याज अनुदान के रूप में दिया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रु. कर्णांकित किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बिहार राज्य में किन-किन जिलों में कितनी राशि अनुदान के रूप में कृषि ब्याज पर दिया है, इस योजना का लाभ सरकार ने किसानों को दिया है, नहीं तो क्यों?

प्रखंड भवन निर्माण

182. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहड़ा प्रखंड 1999 से कार्यरत है लेकिन भवन नहीं रहने के कारण पुराने प्रखंड अतरी में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि मोहड़ा के सन्निकट कजुर ग्राम में 11 एकड़ जमीन जिला पदाधिकारी, गया द्वारा भवन बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया है जहां कजुर में पहले से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बना हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में, उक्त जमीन पर प्रखंड भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कृषि अनुदान का भुगतान

183. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में फसल उगाने या फसल की रक्षा के लिए किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के नालन्दा, पटना, नवादा समेत सभी जिलों के किसानों को विगत तीन वर्षों से सब्सिडी नहीं दिया गया है जिससे प्रभावित किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि किसानों को सब्सिडी देने हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि का आवंटन किया गया है और उन्हें कबतक सब्सिडी देने के लिए राशि विमुक्त करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

वैकल्पिक पथ का निर्माण

184. **श्री संजीव कुमार सिंह एवं श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती बाजार से दियारा की ओर जाने के लिए गणेश धोबी के घर के सामने से एकमात्र दस फीट की सड़क है जो आगे जाकर इस तरह मुड़ती है कि सामने से आनेवाला वाहन दिखाई नहीं देता है तथा सड़क के दोनों ओर मकान होने की वजह से सड़क की चौड़ाई बढ़ाई नहीं जा सकती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क से ट्रैक्टर, स्कूल बस, ट्रक एवं जीप आदि दियारा की तरफ जाता है, यहां पर वाहनों का आवागमन काफी बढ़ गया है, सिंगल सड़क होने के चलते काफी जाम लग जाता है तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीरपैंती बाजार से दियारा की ओर जाने के लिए किसी अन्य पथ का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सम्पर्क पथ का निर्माण

185. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर अंचल के राजा जान पंचायत अन्तर्गत सम्पर्क पथ निर्माण हेतु जिलाधिकारी के ज्ञापांक 628, दिनांक 08.03.2016 द्वारा स्वीकृति एवं आवश्यक धन अंचलाधिकारी, मोहिउद्दीननगर को उपलब्ध करा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि चौपाल टोला हेतु सम्पर्क पथ भूमि मुआवजा के क्रय में भूमि देने पर आपत्ति किए हैं जिसके कारण सम्पर्क पथ नहीं बन रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चौपाल अनुसूचित जाति के टोला को सम्पर्क सड़क हेतु भूअर्जन के द्वारा पथ निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गबन करने वाले पर कार्रवाई

186. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत 43 विद्यालयों में राशि उठाव कर विद्यालय निर्माण कार्य नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामले पर कार्रवाई के लिए पिछले डेढ़ वर्षों से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बीच कागजी खानापूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है यह मामला वित्तीय वर्ष 2005-06 से लेकर 2014-15 तक का है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संलिप्त विभागीय पदाधिकारियों एवं कथित गबन करने वालों पर कार्रवाई करेगी, यदि नहीं तो क्यों?

संवेदकों को ऑनलाइन निबंधन पर विचार

187. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में संवेदकों का ऑन लाइन निबंधन किया जा रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग में संवेदकों का ऑन लाइन निबंधन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त तकनीकी विभागों की तरह भवन निर्माण विभाग में भी संवेदकों का ऑन लाइन निबंधन कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब से?

भवन को पुन: ठीक कराने पर विचार

188. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अस्पताल सासाराम में कुछ वर्ष पूर्व विशेष नवजात केयर इकाई के भवन का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भवन में बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है जिससे भर्ती नवजातों की देखभाल पूर्णत: असुरक्षित हो जाता है जिससे चिकित्सकों, नर्सों को नवजातों की देखभाल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भवन को पुन: ठीक कराना चाहती है, जिससे भर्ती हुए नवजातों को सुन्दर चिकित्सकीय व्यवस्था का लाभ मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 02 अप्रील, 2018